

फर्द अहकाम

हेसराज बनाम हीलर कौं०

नाम न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी प्राग्गी

केस संख्या 173/2008

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9.5.2017	<p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2017 राजस्व कैम्प कोर्ट <u>भांखोव</u> में पेश हुई, पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निधारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक <sup>शुद्धी एक नोटिस</sup> स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण <sup>(एक)</sup> को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर <u>55, 73, 958, 1232, 1310, 1349, 1350, 1390, 1662</u> <u>किता 9 रकबा 15.09 बीघा व खसरा 54</u> <u>किता 2 रकबा 48.18 बीघा</u> <sup>कुल रकबा</sup> वाके ग्राम <u>खीर</u> <u>तहसील प्राग्गी</u> जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	